न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ. सौम्या झा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03/2014
प्रविष्टि दिनांक 21.04.2014

मोहम्मद शोएब पुत्र सईदुदीन खॉ ऊर्फ रईस मियां जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील अलीगढ जिला टोंक राज0

–प्रार्थी

बनाम

1–हामिदा सुल्ताना पत्नि स्व.सईदुददीन खां जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील अलीगढ जिला टोंक

3–ग्राम पंचायत अलीगढ पंचायत समिति उनियारा मुकाम अलीगढ जिला टोंक राज0

–प्रतिपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज.पंचायत अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा दिनांक 01.07.1999

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री मोहम्मद मियां,अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या 1

निर्णय दिनांक 24.09.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र निगरानी का सार इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत अलीगढ पंचायत समिति अलीगढ द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे दिनांक 01.07.1999 को आबादी भूमि का विक्रय–विलेख(पट्टा) वाके ग्राम अलीगढ मे 5775 वर्गफीट भूमि का जारी किया है। निगरानीकर्ता ने सरपंच ग्राम पंचायत अलीगढ के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी प्रतिपक्षी जरिए सम्मन की गई एंव ग्राम पंचायत सुरेली से पट्टे की पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि. एक्ट पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभिभाषकगण की प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भू–खण्ड से संबंधित एक दावा न्यायालय जिला न्यायाधीश टोंक मे उनवान मोहम्मद शोएब बनाम हामिदा सुल्ताना वाद/प्रकरण संख्या 90/1992 (22/1995) न्यायालय मे विचाराधीन होने के बावजूद भी प्रतिपक्षी नं.1 ने दौराने दावा विवादित भू–खण्ड का बिना किसी अधिकार,बिना भौतिक कब्जे व न्यायालय की अनुमति के बिना चुपचाप ग्राम पंचायत से मिलकर बिना किसी प्रस्ताव के विवादित भू–खण्ड का पट्टा

जिला कलेक्टर
टोंक

अपने पक्ष मे जारी करवा लिया जो नियमो के विपरित है। माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त दावा विवादित सम्पत्ति के विभाजन के लिये था, जो कि पट्टा जारी करने की तिथी को सिविल न्यायालय मे विचाराधीन था,उस दावे मे प्रार्थी के पक्ष मे डिक्री पारित हो चुकी है और विवादित सम्पत्ति प्रार्थी के हिस्से व कब्जे मे आ चुके है,इसमे प्रार्थी ने मकान बना रखा है। विधुत का कनेक्शन भी प्रार्थी के नाम है। प्रार्थी ने उक्त भू–खण्ड के चारो और चार दीवारी का निर्माण करवाकर किराये पर दे रखा है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 27.02.1999 को प्रार्थी का उक्त भू–खण्ड पर कब्जा माना है। ग्राम पंचायत ने बिना जांच व बिना भौतिक कब्जे के चुपचाप प्रतिपक्षी संख्या 1 से मिली भगत करके ग्राम पंचायत का पूर्ण कोरम का प्रस्ताव लिये बिना व पट्टे मे किसी का उल्लेख किये बिना चुपचाप जारी किया है,जारी किया गया पट्टा फर्जी व बनावटी है,क्योकि प्रतिपक्षी संख्या 1 का आज तक भी उक्त भू–खण्ड पर कब्जा नही है और उसका स्वामित्व या किसी प्रकार का संबंध नही है। ग्राम पंचायत ने नियमो के विपरित जाकर उक्त पट्टा जारी किया है। अतः ग्राम पंचायत अलीगढ द्वारा जारी पट्टा दिनांक 01.07.1999 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या 1 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत अलीगढ द्वारा दिनांक 01.07.1999 को उक्त पट्टा जारी किया गया है,परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा वर्ष 2014 में इसे निरस्त कराने हेतु निगरानी पेश की है। निगरानीकर्ता को उक्त निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। निगरानीकर्ता अतिक्रमी है और अतिक्रमी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत अलीगढ पंचायत समिति अलीगढ द्वारा मौका का निरीक्षण किया गया है।दो गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर बाद मे उक्त पट्टा जारी किया है। निगरानीकर्ता द्वारा पट्टा जारी होने से 15 वर्ष तक कोई आपत्ति दर्ज नही करवाकर बाद मे आपत्ति दर्ज करवाई गई है। सरपंच ग्राम पंचायत अलीगढ द्वारा यदि पट्टा जारी करने की प्रकिया का पालना नही किया गया है तो तत्समय ही आपत्ति की जानी चाहिये थी। निगरानी कानूनन चलने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत अलीगढ द्वारा विधिक प्रकिया अपनाये जाकर पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी निरस्त योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण कि बहस पर मनन किया तथा पट्टे से संबंधित पत्रावली का गहन अध्ययन किया। ग्राम पंचायत अलीगढ पंचायत समिति अलीगढ द्वारा राजस्थान पंचायत एंव न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत के तहत आबादी भूमि का विक्रय–विलेख (पट्टा) दिनांक 01.07.1999 को जारी किया गया है,**जिसका माप पूर्व से पश्चिम 77 फीट व उत्तर से दक्षिण मे 75 कुल क्षेत्रफल 5775 वर्गफीट** श्रीमति हमीदा सुल्ताना बेवा सहीदुदीन एडवोकेट जाति मुसलमान निवासी अलीगढ के हक मे जारी किया गया है।

अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या–1 का कथन है कि सरपंच ग्राम पंचायत अलीगढ पंचायत समिति अलीगढ द्वारा मौका का निरीक्षण किया गया है,दो गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर बाद मे उक्त पट्टा जारी किया है। निगरानीकर्ता द्वारा पट्टा जारी होने से 15 वर्ष तक कोई आपत्ति दर्ज नही करवाकर बाद मे आपत्ति दर्ज करवाई गई है,परन्तु अभिभाषक प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा मे दिनांक 04.09.2024 को दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है।

जिला कलेक्टर
टोंक

दस्तावेजात (माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश(फास्ट–ट्रेक)टोंक के निर्णय दिनांक 11.08.2010 की छायाप्रति) का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि/भू–खण्ड बाबत न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश(फास्ट–ट्रेक) टोंक के समक्ष दावा बाबत तकास्मा प्रस्तुत किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा दीवानी वाद संख्या 28/2000,46/2003 दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 11.08.2010 के विवाधक संख्या–9 अनुतोष आदेश के चरण संख्या 3 मे "वाद पत्र के साथ संलग्न है और उस नक्शा मे जो मकान लाल रंग से ए.बी.सी.डी.इ से प्रदर्शित किया गया है,उस सम्पत्ति मे वादी का 14/64 हिस्सा घोषित किया जाता है" का उल्लेख कर दिनांक 11.08.2010 को ही डिक्री मुकद्दमा इब्दताई जारी की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत अलीगढ पंचायत समिति अलीगढ द्वारा दिनांक 01.07.1999 को प्रतिपक्षी संख्या–1 के हक मे ही उक्त पट्टा जारी किया गया है,परन्तु माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश(फास्ट–ट्रेक)टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 11.08.2010 मे प्रार्थी का भी 14/64 हिस्सा माना है। ऐसी स्थिति मे सरपंच ग्राम पंचायत अलीगढ पंचायत समिति अलीगढ द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत अलीगढ पंचायत समिति अलीगढ द्वारा दिनांक 01.07.1999 को प्रतिपक्षी संख्या–1 के हक मे जारी किये गये पट्टे को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण सरपंच ग्राम पंचायत अलीगढ पंचायत समिति अलीगढ जिला टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर, दस्तावेजात की जांच कर अपने–अपने हिस्से अनुसार पुनः नियमानुसार पट्टा जारी करे।

निर्णय आज दिनाक 24.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक